न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

मु0नं0 13/2019 तारीख रजू:- 07.07.2019

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली जरिये प्रधानाचार्य रमेश चंद पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111/128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वावत कृषि भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थर गढी करने

निर्णय दिनांक 19-9-19

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार हैं कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर ने प्रार्थनापत्र इस आस्य का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं. 103,113 कुल किता 2 कुल रकवा 1.41 है0 वाके ग्राम राराशाहपुर तहसील हिण्डौन मे स्थित है जो कि विद्यालय के नाम खतेदारी है। जिसका उपयोग खेल मैदान के लिए आरक्षित हुई है। पडोसी व्यक्ति उक्त विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। दिनांक 07.03.2019 को विद्यालय विकास कोस समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर इस खेल मैदान भूमि का सीमाज्ञान करा कर पत्थर गढी कराते हुए चारदीवारी करने का प्रस्ताव लिया गया है जिसमें सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को दिनांक 03.04.2019 कों प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें 17.06.2019 को अतिक्रमीयो के विरोध के वीच सीमाज्ञान कराया गया किन्तु भूमि पर अन्य व्यक्ति अतिक्रमण करने को आमदा है। अंत में प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमे तहसीलदार ने अपने जवाव प्रार्थनापत्र पेश कर उक्त भूमि का दिनांक 07.06.2019 सीमाज्ञान करा लिया गया है। ओर भी सीमाज्ञान कराते हुए पत्थर गढी करने की सहमति दी है।

वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया की विवादित आराजी प्रार्थी यानि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

विद्यालय की खातेदारी की भूमि है जो बच्चो के खेल मैदान के रूप में आरक्षित हुई है जिसका सीमाज्ञान भी हो गया है। किन्तु पडोसी खातेदार उक्त राजकीय भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है विद्यालय विकास कोष समिति द्वारा इस राजकीय भूमि पर चारदीवारी करने का प्रस्ताव लिया गया है। जिसे अव पुनः सीमाज्ञान कराकर मौके पर पत्थर गढी किया जाना उचित रहता है। जिससे बच्चो का खेल मैदान सुरक्षित रहकर उपयोग उपभौग में आ सकेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार हिण्डौन को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नं. 103,113 कुल किता 2 कुल रकवा 1.41 है0 वाके ग्राम राराशाहपुर तहसील हिण्डौन का प्रार्थी की मौजूदगी मे सीमाज्ञान करा कर मौके पर पत्थर गढी करावे। तहसीलदार हिण्डौन को प्रथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19-9-19 को लिखाया जाकर सुराया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner